

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 460 / 2022 / 3518

दिनांक : 28/06/2022


-:: आदेश ::-

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, जो राजस्थान जिला न्यायालय (वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) के तहत तामील कुनिन्दा के पद के लिये विहित अर्हता रखते हैं, को उक्त नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वरीयता-सह-उपयुक्तता के आधार पर तुरन्त प्रभाव से अस्थायी रूप से तामील कुनिन्दा के रिक्त पदों पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल-04 (पूर्व वेतनमान में ग्रेड पे-2000/-) के अन्तर्गत नियमानुसार देय वेतन-भत्तों पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. स.	नाम कर्मचारी सर्व श्री / सुश्री / श्रीमती	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन न्यायालय का नाम
01.	प्रभु सिंह	च0श्रे0क0	ADJ-09
02.	विमल शर्मा	च0श्रे0क0	MM-04

नोट :-

1. यदि उपरोक्त कर्मचारीगण का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उन्हें बिना किसी नोटिस के मूल पद पर प्रत्यावर्तित (Revert) कर दिया जावेगा।
2. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारीगण के सेवा-रोल में किया जावे।
3. उक्त कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।
4. कुछ कर्मचारीगण द्वारा पूर्व पदोन्नतियों को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर में रिट याचिकाएं दायर की हैं, जिनके निर्णयाधीन उक्त पदोन्नति आदेश प्रभावित रहेगा।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 460 / 2022 / 3519-3525

दिनांक : 28/06/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा/तामील शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
03. संबंधित न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय
04. संबंधित कर्मचारी
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. निजी पत्रावली
07. आदेश पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय

